

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि./16/2301-25

जयपुर, दिनांक:- 13.09.2021


आदेश

लोकहित में मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विधि
1.	श्री मुरारीलाल गीना सहा. प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, सवाईमाधोपुर (स्थानान्तरणाधीन)	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, करौली (अति प्रशा. अधि. पद विरुद्ध)	रिक्त पद पर
2.	श्री राजेन्द्र प्रजापत, सहा. प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, धौलपुर	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, दौसा	रिक्त पद पर
3.	श्री अशोक कुमार आचार्य, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, जोधपुर (सा0प्र0अधि0 पद विरुद्ध)	रिक्त पद पर
4.	श्री अक्षय पारीक, कनिष्ठ सहायक	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, अजमेर	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर	श्री सैनी के स्थान पर
5.	श्री हिमाशु सैनी, कनिष्ठ सहायक	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, सीकर (व0सा00 पद विरुद्ध)	रिक्त पद पर
6.	श्री अनिल कुमार यादव कनिष्ठ सहायक	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, भीलवाड़ा	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, अलवर (व0सा0 पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
7.	श्री राहुल कटेवा, कनिष्ठ सहायक	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, द्वितीय, जयपुर महानगर	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, झुंझुनू (व0सा0 पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
8.	श्री रामसिंह चौधरी, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	रिक्त पद पर
9.	श्री पवन कुमार खंगार कनिष्ठ सहायक	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, भीलवाड़ा	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, टोंक (व0सा0 पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर


क्रम संख्या 1 से 7 एवं 9 पर अंकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण स्वेच्छिक है। इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
5. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
7. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर